I.K. Gujral Punjab Technical University, Kapurthala
Main Campus

Ref. No.: IKGPTU/DR/MC/904 Date: 08.09.2022

Circular

It is informed that Post Matric Scholarship Scheme, Uttar Pradesh is now open for registration at U.P. Scholarship Portal **http://scholarship.up.nic.in**. SC/ST/ General Category students of Uttar Pradesh state studying at IKGPTU Main Campus with family income less than 2.50 Lakh annual (2.00 Lakh for General category) can register and apply online at the portal as per following schedule:

Activity	Date
Last Date to submit online application by students	07.11.2022
Submission of all documents for verification in the office of undersigned	10.11.2022

Following the submission of online application, applicants should submit the self attested hard copies of following documents to the concerned HoD for forwarding to the office of undersigned latest by 10.11.2022:

- Printout of online application form
- Income certificate issued by competent authority in respect of parent/guardian of the student
- Residence certificate issued by competent authority
- Caste Certificate issued by competent authority (for SC/ST Category)
- Fee receipts of academic fees
- Copy of High School certificate
- Marks Sheets/ Certificates of previous examinations
- Affidavit by the student if there is a gap between his/her study
- Copy of Aadhar card of the student
- Copy of Bank passbook (which is linked with Aadhar card of the applicant)
- Attendance details (as per attached performa)

Please note that, as per the guidelines, students belonging to Other Backward Classes are not eligible for scholarship even if they are enrolled under General Category at IKGPTU Main Campus. In addition, if results of both previous semesters have not been declared, candidate should apply online after selecting "Result Not Declared" option. In that case, student has to update result details before the last date 15.12.2022. Guidelines of the scholarships are attached herewith and also available at the U.P. Scholarship Portal.

For any other queries, students may contact at the office of DR Main Campus, Ground Floor, CB-I building.

(Sumeer Sharma)
Assistant Registrar (Main Campus)

Cc:

1. Dean (Academics)
2. All HoDs (Teaching), Main Campus: to circulate the information to students
3. Incharge (ITS): For uploading on IKGPTU Main Campus website
4. Notice Boards

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1–छात्र क्या करें:–

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक (प्रथम वर्ष को छोड़कर), आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख होना आवश्यक।
- हाई–स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक ।
- आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्परेरी लाक कर सकेगा।
- आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा।
- अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें।
- आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच लें। बिना आधार सीडेड खाता संख्या (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा– हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का कमांक एवं आवेदन का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण–पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच लें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सब्मिट करें।
- आवेदन पत्र सब्मिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय/निवास प्रमाण–पत्र कमांक एवं आवेदन कमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सब्मिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fees) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें।

- छात्र/छात्रायें स्वंय का ई0–मेल आई0डी0 व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु **https://scholarship.up.gov.in** पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें।
- नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास**(Pass)**/प्रोन्नत **(Promoted with marks)** के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरें। परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट नाट यट डिक्लेयर्ड **(Result Not yet Declared)** के आप्शन के साथ आवेदन कर सकते है, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्थान से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी जायेगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना आवश्यक है।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा– आधार नम्बर,हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा (**Share**) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (**Fail**) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (**REJECT**) कर दिया जायेगा।

निदेशक
समाज कल्याण

(पी0 के0 त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक मु0

(सिद्धार्थ ...)
सहायक निदेशक (...)
मुख्यालय

प्रदेश से बाहर अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं एवं संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश

1– अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय (GOVT.) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT.AIDED) शिक्षण संस्थान जो उत्तर प्रदेश राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उनमें अध्ययनरत ऐसे छात्रों को, जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय रू0–2.50 लाख वार्षिक या उससे कम हो (सामान्य वर्ग हेतु रू0–2.00 लाख वार्षिक या उससे कम हो), को समय–सारिणी के अनुसार आनलाइन आवेदन करने पर तथा संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन एवं उसकी हार्ड कापी सभी संलग्नकों के साथ छात्र के उत्तर प्रदेश के निवासरत जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित/प्रेषित करने पर ही वर्ष 2022–23 में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

2– *प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय* (GOVT.) *एवं शासकीय सहायता प्राप्त* (COVT.AIDED) *नवीन शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल* **https://scholarship.up.gov.in** *पर जाकर इंस्टीट्यूट सेक्शन में दिये गये आप्सन के माध्यम से आनलाइन अपनी संस्था का आवेदन करना होगा तथा संस्था के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्र को स्कैन कर ई–मेल–* **dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in** *पर समय सारिणी में दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में उपलब्ध करानी होगी।*

3– *मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय* (GOVT.) *एवं शासकीय सहायता प्राप्त* (GOVT.AIDED) *शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल* **https://scholarship.up.gov.in** *पर निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार इंस्टीट्यूट सेक्शन से अपने लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा लॉक किया जाना आवश्यक होगा। जो पाठ्यकम उनके द्वारा लॉक किया जाएगा छात्र उसी पाठ्यकम में आवेदन कर सकेगा।*

4– प्रदेश से बाहर अध्ययनरत उन्ही संस्थाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र आवेदन कर सकेगें, जो संस्थायें मास्टर डाटा में निर्धारित प्रकिया एवं समय–सारिणी के अनुसार निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति पोर्टल में सम्मिलित हैं तथा उनके द्वारा अपना मास्टर डाटा पूर्ण करते हुये निर्धारित समयावधि में लॉक कर दिया गया है।

5 कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यकमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन फार्म भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा।

6– किसी भी छात्र द्वारा गत वर्षों में छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन किया गया हो किन्तु उसे किन्ही कारणों से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो अथवा नहीं तो उसे नवीनीकरण के रूप में ही आवेदन करना होगा। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

7– सभी संस्थान अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र का आवेदन पत्र जमा करके छात्र को पावती देगें तथा उनके आवेदन पत्र छात्र के मूल निवास से सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सभी अभिलेखों सहित हार्ड कापी के रूप में तथा अपने पासवर्ड एवं डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से आनलाइन निर्धारित तिथि तक अग्रसारित करेगें। सभी संस्थान यह सुनिश्चित कर लेगें कि जिस छात्र का आवेदन अग्रसारित किया जा रहा है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति तथा सामान्य वर्ग का छात्र ही हो। उत्तर प्रदेश राज्य में चिन्हित अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग में किसी भी स्थिति में आवेदन अग्रसारित न किया जाय।

8— शैक्षणिक संस्था को केन्द्र/प्रदेश की छात्रवृत्ति नियमन समिति अथवा सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने शुल्क का विवरण अंकित करना होगा। शुल्क में अनिवार्य वापस न किये जाने वाले शुल्क ही सम्मिलित होंगे। इस शुल्क में छात्रावास, मेस शुल्क तथा काशन मनी के रूप में जमा धनराशि सम्मिलित नहीं होगी।

9— संस्थान में केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आय सीमा अथवा अन्य कारणों से बिना शुल्क के प्रवेशित छात्र अथवा अन्य छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र इस पोर्टल पर आवेदन करने के पात्र नहीं होगें। संस्थान द्वारा ऐसे आवेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

10— वर्ष 2022—23 में सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) तथा नवीनीकरण के छात्रों को एनरोलमेंट नम्बर भरना भी अनिवार्य होगा। सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्रों का आधार नम्बर जो कि बैंक खाते में सीडेड हो, अनिवार्य रूप से भरवाना सुनिश्चित करेगें क्योंकि धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही किया जायेगा।

11— प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय **(GOVT)** एवं शासकीय सहायता प्राप्त **(GOVT AIDED)** शिक्षण संस्थानों को समय सारिणी में दी गयी समयावधि में छात्रवृत्ति वेबसाइट पर निर्धारित लागिन से स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा।

समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण को प्रत्येक स्थिति में समय सारिणी में दी गयी समयावधि में प्रेषित भी करना होगा। प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय **(GOVT)** एवं शासकीय सहायता प्राप्त **(GOVT AIDED)** शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई मेल के माध्यम से दिया जायेगा। संस्थायें आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ईमेल एड्रेस ही दें। लागिन एवं पासवर्ड आनलाइन आवेदन एवं हार्डकापी प्राप्त होने के उपरान्त योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रकिया पूर्ण करके उपलब्ध कराया जायेगा।

लागिन एवं पासवर्ड मिलते ही प्रत्येक शासकीय **(GOVT)** एवं शासकीय सहायता प्राप्त **(GOVT AIDED)** संस्थान को समय—सारिणी में निर्धारित समयावधि में मास्टर डाटा पूर्ण करते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना अनिवार्य होगा। वाह्य प्रदेश स्थित संस्थान मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करने हेतु किसी भी समस्या के लिये दूरभाष संख्या 9621650064 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक—अवकाश के दिनों को छोड़कर) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

12— मैनेजमेंट कोटा/स्पाट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित छात्र, छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होगें। छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जो छात्र पात्र नहीं होगें, ऐसे छात्रों का डाटा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं करेगें। अपात्र छात्र का आवेदन अग्रसारित करने की दशा में संस्थान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

13— *मास्टर डाटा में सम्मिलित संस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र ही आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन को संस्था द्वारा आनलाइन*

प्राप्त करके, वेरीफाई करके अग्रसारित करना अनिवार्य होगा तथा इसी के साथ छात्र के गृह जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित हार्डकापी भी संस्थान के सत्यापन के उपरान्त भेजा जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य पूर्ण न होने की दशा में छात्र का आवेदन आनलाइन पूर्ण नहीं माना जायेगा।

14— *समय—सीमा समाप्त होने के उपरान्त मास्टर डाटा में संस्था सम्मिलित करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। समस्त संस्थाये डाटा आनलाइन निर्धारित समयावधि में ही फारवर्ड कर दें।*

15— *प्रदेश से बाहर अध्ययनरत छात्रों का आवेदन सामान्य वर्ग के अन्तर्गत तभी मान्य होगा जब वे उत्तर प्रदेश राज्य की आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग) में न आते हों।*

16— दशमोत्तर छात्रवृत्ति की नियमावली, विज्ञापन, वाह्य प्रदेश के शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थाओं हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में आवेदन पत्र, पाठ्यकम एवं अन्य विवरण के लिये वेबसाइट ***https://scholarship.up.gov.in*** में जाकर सहायता/जानकारी प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुसार निर्धारित समयावधि में मास्टर डाटा में समस्त सूचनाओं को भरते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करना, छात्र का आवेदन समय से अग्रसारित करना एवं छात्र के आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

निदेशक
समाज कल्याण

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक मु०

(सिद्धार्थ ...)
सहायक निदेशक (...)
मुख्यालय

I.K.G Punjab Technical University, Kapurthala

Main Campus

1. Name of Student : ....
2. Department : ....
3. Course Name : ....
4. Roll Number : ....
5. Category SC/OBC : ....
6. Semester : ....

Attendance Report

Subject	Attendance Percentage	Name of Faculty	Signature

Reappear in previous examination (if any)

Semester	Subject	Name of Faculty	Signature

HoD Signature